

(नियम 13)
{General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}
 न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

अतुल मिश्रा पुत्र विजेन्द्र मिश्रा जाति ब्राह्मण निवासी झांझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।	-बनाम-	परसराम मिश्रा पुत्र मोहनलाल जाति ब्राह्मण निवासी झांझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
किस्म मुकदमा- दावा: घोषणार्थ व दुरुस्ती रिकॉर्ड, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा।		मु.नं. 105 / 2025 RCMS No

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
28.04.25	<p>आज यह वाद वादी की ओर से वकील श्री रामाकांत गौड़ द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर हो। तलबी प्रतिवादीगण जारी हो। प्रतिवादीगण यदि तहसील क्षेत्र नवलगढ़ के बाहर के हो तो तलबी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड डाक से जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 5/6/25 को पेश हो।</p> <p align="right">सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ़ जिला झुंझुनू</p>	
s/s/s/s	<p>वकील वादी को जोर से पत्रावली जिसका तलबी करने पर आज दिनांक 2/5/25 को निषेध की गई। वकील वादी ने सोपान पत्रावली को Not probp का जवाब दे चलाना जारी किया। अतः पत्रावली को इसी स्तर पर रखा गया जाता है पत्रावली फाइनल शुमार होकर इस नंबर से काम हो तब ही वाद तहसील स्तर पर चला एगा है।</p> <p align="center">ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.) नवलगढ़</p>	<p>No + probp 2/5/25</p>

